के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।
वास्ते तलबी दिनांक 10-10-19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

10-10-19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उप. प्रतिवादी क्र. 9 की तामील नहीं हुई है। पुनः तलबाना पेश करने पर जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी एवं जवाब दि. 6-11-19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

6/11/19 - पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी क्र. 9 को मूल वाद में तामील हो चुकी है बावजूद सूचना गैरहाजिर रहने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी वकील द्वारा जवाब प्रा.पत्र प्रस्तुत किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई जाकर ~~(जवाब)~~ जवाब प्रा.पत्र पेश किया गया। पत्रावली वास्ते बहस T I दि. 21/11/19 को पेश हो। आगामी दिनांक तक T I बढ़ाई जाती है।

21-11-19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वास्ते बहस T.I दिनांक 5-12-19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

5/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस T.I दिनांक ~~[illegible] 2020~~ को पेश हो।
पंचायत चुनाव कार्य व्यस्तता

उपखण्ड अ[illegible]
मनोह[illegible]

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्या – 23 / प्रा.प. / 2019 / तारीख दायरा 26.7.2019

प्रेमनारायण उर्फ पन्नालाल पिता बीरमचन्द जाति लोधा निवासी घडावली तहसील मनोहरथाना

– प्रार्थीगण

बनाम

1. कस्तूरीबाई पत्नी बीरमचन्द जाति लोधा निवासी घडावली तह. मनोहरथाना
2. कान्तीबाई पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति लोधा निवासी घडावली तह. मनोहरथाना
3. गौरीलाल पिता जगन्नाथ जाति लोधा निवासी घडावली तह. मनोहरथाना
4. किशना पिता जगन्नाथ जाति लोधा निवासी घडावली तह. मनोहरथाना
5. कल्याण पिता बलराम जाति लोधा निवासी घडावली तह. मनोहरथाना
6. परमान्द पिता बलराम जाति लोधा निवासी घडावली तह. मनोहरथाना
7. बरदीबाई पिता बलराम पत्नी कल्याण जाति लोधा निवासी जावरी
8. लीलाबाई पुत्री बलराम पत्नी मांगीलाल जाति लोधा निवासी ढाबा
9. राजीबाई पुत्री बलराम पत्नी बीरम जाति लोधा निवासी दलोदा
10. सुन्दर बाई बेवा बलराम जाति लोधा निवासी घडावली
11. फूलचन्द पिता कन्हीराम जाति लोधा निवासी घडावली
12. कैलाशबाई पत्नी हरकचन्द पुत्र कन्हीराम जाति लोधा निवासी पीपलोदी
13. कौशल्या पत्नी गोकुल पुत्री कन्हीराम जाति लोधा निवासी टोडरी मीरा
14. सुन्दर बाई बेवा कन्हीराम जाति लोधा निवासी घडावली
15. लक्ष्मीनारायण पिता बीरमचन्द जाति लोधा निवासी घडावली
16. राकेश पिता बीरमचन्द जाति लोधा निवासी घडावली
17. पानमल पिता बीरमचन्द जाति लोधा निवासी घडावली
18. सन्तोष बाई पत्नी रोशन पुत्री बीरमचन्द जाति लोधा नि. देवकदार तह. अकलेरा
19. जगीबाई पत्नी बीरमचन्द जाति लोधा निवासी घडावली
20. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. सरेडी
21. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को ग्राम घडावली पटवार हल्का बांसखेडी मेवातियान तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या 70 की कुल 26 किता की 84.07 बीघा आराजी पर एक पक्षीय सुना जाकर दिनांक 28.8.2019 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था। दिनांक 6.11.2019 को अप्रार्थी कान्ति बाई पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति लोधा के विद्वावान अधिवक्ता ने प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया कि दिनांक 5.12.2019 को अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित आये। प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि कस्तुरी बाई पत्नी मृतक बीरमचन्द की विवाहिता पत्नी नहीं है, मृतक बीरमचन्द की विवाहिता पत्नी श्रीमती जगी बाई है एवं जमाबन्दी में कस्तुरी बाई का नाम गलत दर्ज हुआ है। इसलिए कस्तुरी बाई द्वारा कान्ति बाई को किया गया बेचान

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

अवैध है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी मौखिक बहस के अलावा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही कर सका जिससे की न्यायालय को यह ज्ञान होवें कि कस्तुरी बाई वास्तव में मृतक बीरमचन्द की विवाहिता पत्नी है। चूकि प्रकरण में कस्तुरी बाई द्वारा श्रीमती कान्ति बाई को आराजी का बेचान किया जा चुका है एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वाद में कान्ति बाई को आवश्यक पक्षकार भी बनाया गया है जिसके अधिवक्ता भी उपस्थित है एवं उन्होने तर्क दिया कि उनकी खरीदशुदा आराजी का नामान्तरण खोला जाना नियमानुसार विधिक है एवं उन्होने जमाबन्दी में नामशुदा खातेदार से भूमि कय की है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर अप्रार्थी को राहत प्रदान की जावे। मैनें पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का मनन किया एवं पाया कि अधिवक्ता प्रार्थी के तर्को को पुष्ट करने के लिए पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है एवं कस्तुरी बाई द्वारा कान्ति बाई को बेचान किया गया है। कान्ति बाई वाद में आवश्यक पक्षकार है। प्रकरण में अन्तिम निर्णय से पूर्व समस्त साक्ष्यों एवं रेकार्ड के अनुसार निर्णय कर दिया जावेगा।

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो व प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथसंलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना